शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (घ) शहरी स्लमों में पर्यावरण सुधार योजना (ई आई यू एस) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक अविभाज्य हिस्सा बनाया गया और इसे अप्रैल, 1978 में राज्य क्षेत्र (सेक्टर) को स्थानान्तरित कर दिया गया था। इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार शहरी स्लमों में पर्यावरण सुधार योजना विदेशी सहायता की मदद से नहीं चल रही है।

***Norms for construction of a farm house in Delhi***

2461. SHRI O. P. KOHLI: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the latest policy/norms for the construction of a farm house in Delhi;

(b) whether Government have increased the area of construction of dwelling unit in a farm house;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether this policy will also be applicable on the farm houses existing before the announcement of the new scheme;

(e) if so, the details and the reasons therefor; and

(f) the list of sanctioned farm houses in Delhi till November, 1998 indicating Khasra numbers, area sanctioned for dwelling units, village name and name of the owners in revenue records of Delhi Government?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) to (c) The latest policy for farm house in Delhi as notified on 23.7.98 by the Government is as under:—

| | | |
|---|---|---|
| (i) | Manimum Size of farm house. | 0.8 hac. |
| (ii) | Maximum ground coverage | 5% |
| (iii) | Maximum FAR | 5 (subject to maximum of 500 sq. mtr. irrespective of the size of The farm). |
| (iv) | Number of Storeys | two |
| (v) | Maximum height | 8 mtrs. |

All constructions including basement, if any, will be counted towards FAR.

Land will be surrendered free of cost for circulation network and infrastructure requirements as per the layout plan by the land owners, allowing them the benefit of FAR on total area.

Levy on additional FAR over and above FAR permitted vide Government of India Gazette notification dated 1.8.90 and/or development charges shall be charged at rates to be decided by the Govt. of India from time to time.

(d) and (e) The above modifications in the policy/norms are made w.e.f. the date of publication of the notification in the Gazette of India i.e. 23.7.98.

(f) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

**दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति**

2462. श्री बरजिन्दर सिंह: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों के निवासियों की मांग पर डीडीए के वाइस-चेयरमैन ने छः सदस्यीय तकनीक-विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है और उसे दायित्व दिया है कि वह फ्लैटों में अतिरिक्त कमरे या अतिरिक्त निर्माण की संभावनाओं के लिए सुझाव दे;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत वर्षों के दौरान पहले भी इसी प्रकार की समितियां इसी उद्देश्य के लिए गठित की गयी थीं; और

(ग) यदि हां, तो अभी तक कितनी समितियां गठित की जा चुकी हैं तथा उनके सुझावों को कार्यान्वित करने के संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 15.8.98 के अपने पत्र सं० ईएम

03(18)78/खण्ड 34/8400-09 के माध्यम से निम्नांकित समिति के गठन का अनुमोदन कर दिया है:

| | |
|---|---|
| 1. आयुक्त (आयोजना) | अध्यक्ष |
| 2. अपर मुख्य वास्तुकार | सदस्य |
| 3. निदेशक (भवन) | सदस्य |
| 4. निदेशक (एच) I और II | सदस्य |
| 5. अधीक्षण अभियंता (डिजायन) | सदस्य |
| 6. शीर्ष (एपेक्स) संघ से दो प्रतिनिधि | सदस्य |

(ख) जी, हाँ।

(ग) इस प्रयोजनार्थ अब तक 3 समितियों का गठन किया गया है। ऐसी एक समिति की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 27.9.96 के अपने संकल्प संख्या 101/96 के मार्फत दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों के आवंटियों के द्वारा किए गए कतिपय परिवर्तन/परिवर्तन को अनुमति प्रदान कर दी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण कार्यालय सं० एफ 2(83)/94/समन्वय(एच)/वी टी/20 दिनांक 17.1.97 की प्रति विवरण में है।

## विवरण

## दिल्ली विकास प्राधिकरण

---

दिसम्बर 13, 1996

सं० एफ-2(83)94/समन्वय (एच)/पी०टी०/20

### कार्यालय आदेश

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 27.8.1996 के अपने संकल्प सं० 101/96 के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि विभिन्न स्थानों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों में आबंटियों द्वारा किए गए परिवर्द्धन/परिवर्तन को क्षमा योग्य परिवर्तन/परिवर्द्धन माना जाए और आवंटन शर्तों के तहत आवंटियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न की जाए।

1. मम्टी को कमरे में परिवर्तित करना।
2. बराम्दे में ग्रिल एवं ग्लेजिंग लगाना।
3. बाहरी खुले भाग की दीवार 7 फीट तक ऊपर भीतरी आंगन की दीवार 10 फीट तक ऊपर उठाना (जाली/बाड़ के माध्यम से)।
4. आंगन में अतिरिक्त दरवाजा लगाना।
5. दरवाजों तथा खिड़कियों पर सन-शेड्स लगाना जहां ये उपलब्ध नहीं है।
6. बाहरी या भीतरी आंगन में दरवाजा लगाना।
7. खिड़की को अल्मारी में परिवर्तित करना।
8. दरवाजे को बन्द करना।
9. जल भण्डारण बैंक को अंतरित करना/प्राकार दीवार को 5 फीट तक उठाना और अतिरिक्त जल भण्डारण टैंक स्थापित करना।
10. यदि बाथरूम और शौचालय में छत नहीं है तो इन्हें खुला मूत्रालय माना जाए और अनुमति प्रदान की जाए।
11. 5 फीट अथवा लिंटेज ऊंचाई तक ग्रिल अथवा ग्लेजिंग के साथ बॉल्कनी तथा टेरस प्राकार की दीवार को ऊपर उठाना।
12. पिछले आंगन में बाथरूम अथवा शौचालय का निर्माण।
13. मूल ढांचे को हटाना और एक मंजिल भवन के मामले में उचित अनुमति से उसका पुनर्निर्माण बशर्ते कि भवन उपनियमों की पूर्ति हो रही हो और स्थानीय निकाय का अनुमोदन पहले ही ले लिया गया हो।
14. ढांचागत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित विद्युत व्यवस्था के साथ रसोई-घर बाथ रूम व शौचालय की स्थिति में आंतरिक परिवर्तन।
15. जहां सीढ़ियों की व्यवस्था नहीं है वहां खुला जीना बनाना ताकि छत पर पहुंचा जा सके।
16. आगे के कांचित दरवाजों/खिड़कियों को बाहर की तरफ अधिकतम 2 व मौजूदा छज्जे तक शिफ्ट करना।
17. आम रास्ते में कोई छेड़छाड़ किए बिना भूतल क्षेत्र में अतिरिक्त पीवीसी पानी की टंकी रखना/मुहैया करना।
18. स्कूटर/कार गैराज में अधिकतम 2-6" की गहराई वाली अतिरिक्त पानी की टंकी मुहैया करना/निर्माण करना बशर्ते संरचना सुदृढ़ हो।
19. कमरों में लॉफ्ट या शेल्फ मुहैया करना।
20. नलों में जल रोधी उपचार करना।
21. आधी (साढ़े चार इंच) ईंट दीवार हटाना।
22. आम रास्ते/बरसाती पानी नाली में छेड़छाड़ किए बगैर सामने के गेट पर रैम्प बनाना।

23. बाहरी खिड़कियों पर 2 फीट चौड़ी बर्हिक्षेपित शन-शेड मुहैया करना।

24. कमरों में अन्तश्च्छद मुहैया करना।

25. मौजूदा दीवारों में एग्जौस्ट पंखों या वातानुकूलकों के लिए अधिकतम 2 फीट 6 इंच × 1 फीट 9 इंच का भारवा बनाना।

26. हल्के सामान जैसे फाइबर ग्लास/एसी शीट्स/जी०आई० शीट्स/पाइप और स्टैन्डर्ड एन्गल आयरन सैक्शन आदि और शीशेदार आवरण से खुले छज्जों को 9 फुट ऊंचाई तक ढालू छतों से ढकना।

(केवल के० शर्मा)
आयुक्त (आवास)

प्रति सूचनार्थ प्रेषित:—

1. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण के निजी सचिव,
2. वित्तीय सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण के निजी सचिव;
3. इंजीनियर, सदस्य दिल्ली विकास प्राधिकरण के निजी सचिव;
4. प्रधान आयुक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण;
5. सभी आयुक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण;
6. आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण;
7. मुख्य वासतुक, दिल्ली विकास प्राधिकरण;
8. प्रधान लेखा अधिकारी, दिल्ली विकास प्राधिकरण;
9. मुख्य सर्तकता अधिकारी, दिल्ली विकास प्राधिकरण;
10. सभी मुख्य इंजीनियर, दिल्ली विकास प्राधिकरण;
11. सभी निदेशक; दिल्ली विकास प्राधिकरण;
12. सभी फील्ड अधीक्षण इंजीनियर/कार्यपालक इंजीनियर, दिल्ली विकास प्राधिकरण (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
13. सभी संयुक्त/उपनिदेशक (अवास), दिल्ली विकास प्राधिकरण;
14. सभी सहायक इंजीनियर/सहायक निदेशक (इंजी०)/II;
15. सभी कनिष्ठ इंजीनियर (प्रवर्तन)/II, दिल्ली विकास प्राधिकरण;
16. निदेशक (पी०आर०), दिल्ली विकास प्राधिकरण;
17. स्वागत अधिकारी, दिल्ली विकास प्राधिकरण;
18. उप राज्यपाल, दिल्ली के सचिव को सूचनार्थ।

(एन०एन० पुरी)
निदेशक (आवास)-I

**Employment under Die-in-harness scheme in DOP**

2463. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that employment under Die-in-harness scheme is not being allowed by the Directorate of Printing;

(b) whether LDCs selected under the scheme by Government of India from Stores Calcutta have been still awaiting their appointments for the last seven/eight years;

(c) whether Government would take immediate steps to rehabilitate them under the scheme; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) Compassionate appointment in the Government of India is restricted to 5% of the vacancies to be filled up by direct recruitement. The Hon'ble CAT (Principal Bench) New Delhi vide its Judgement dated 4.2.92 in the OA No. 2753/90 etc. and Judgement dated 16.4.93 in the CCP No. 138/92 in OA No. 1417/90 have directed that all the Government of India Presses under the Directorate of Printing including Government of India Forms Store, Calcutta, spread throughout the country, are to be treated as a single unit for the purpose of appointment on compassionate grounds. Accordingly,